न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 02.02.2021

मुकदमा नं0184/2021
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

बनाम

अमरसिंह वगैराह

उगन्ती

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151जा0दी0 में गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151सीपीसी

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थीगण/गैरसायलान
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट अप्रार्थी/सायला

निर्णय

दिनांक :– 8-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/गैरसायलान ने दिनांक 17.03.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 10 सपठित धारा–151 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध खसरा नम्बर 100/9760,101,102,103,104,105,112,114,73,75,88,90,91,92, 98,99 कुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम हिण्डौन की आराजीयात के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2020 (28.01.2021), मुकदमा नं0 47/2021 पेश कर गैरसायलान के विरूद्ध एकतरफा में स्थगन आदेश पारित करवा लिया, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र से पूर्व सायला द्वारा उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक दावा उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह आदि बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नं0 1385/2020 व इसके साथ उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नं0 828/2020 दिनांक 14.12. 2020 को माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये, जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं तथा उनमें आज की तारीख पेशी नीयत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि मूल प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट उनवानी उगन्ती नाम अमरसिंह आदि मुकदमा नं0 828/2020 में सायला को गैरसायलान के विरूद्ध कोई स्थगन न्यायालय हाजा से प्राप्त नहीं होने पर उसके द्वारा उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय हाजा से फोड प्ले करके मुगालता देकर विधि विरूद्ध ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का पेश कर गलत तरीके से स्थगन आदेश न्यायालय हाजा से दिनांक 28.01.2021 को प्राप्त करा लिया, जबकि कानूनन विधि में किसी कार्य का स्पष्ट प्रावधान होने पर धारा 151 का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता। ऐसी सूरत में विवादित भूमि के सम्बन्ध में सायला का 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हुए कानूनन धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 के तहत भी स्टे किये जाने योग्य है।

अतः सायला उगन्ती द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 मुकदमा नं0 184/2021 मय खर्चा खारिज/ स्टे फरमाया जावे।

वकील सायला/ अप्रार्थीया को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा–151 जा0दी0 का जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 22.02.2022 को प्रार्थना पत्र का जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायलान/ प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 17.03.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील गैरसायलान/ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील सायला/ अप्रार्थीया ने दौराने बहस अवगत कराया कि सायला के द्वारा मुकदमा नं0 828/2020 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश किया था वह दिनांक 26.08.2021 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया है। जो वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण/ गैरसायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध कार्ड का अवलोकन किया। जिसके अनुसार सायला उगन्ती की ओर से रसायलान अमरसिंह आदि के विरूद्ध दावा बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा व ायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 1385/2020 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह ौराह विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 100/9760,101,102,103,104,105,112, 14,73,75,88,90,91,92,98,99 कुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम ण्डौन के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में पेश किया। उक्त दावा के साथ ही ायला उगन्ती ने गैरसायलान अमरसिंह आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी षेधाज्ञा मुकदमा नं0 828/2020 दिनांक 14.12.2020 को विवादित आराजीयात सरा नम्बर 100/9760,101,102,103,104,105,112,114,73,75,88,90,91,92,98,99 ुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम हिण्डौन के सम्बन्ध में न्यायालय जा में पेश कर गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द ाने की रिलीफ चाही गई। जिस पर न्यायालय द्वारा सायला को अन्तिरिम स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ नहीं दी जाकर प्रकरण में दर्ज रजिस्टर कर रसायलान को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये हैं।

इसके पश्चात सायला का उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विचाराधीन रहते हुए सायला के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 100/9760,101,102,103, 04,105,112,114,73,75,88,90,91,92,98,99 कुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 ाके ग्राम हिण्डौन के सम्बन्ध में न्यायालय में सायला उगन्ती की ओर से न्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त करने के उद्देश्य से, न्यायालय में र्व में विचाराधीन प्रकरणों के तथ्यों को छुपाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 जा0 दी0 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह वगैराह मुकदमा नं0 184/2021 दिनांक 28.01.2021 को पेश कर विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में गैरसायलान के विरूद्ध अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा ली। तत्पश्चात उक्त प्रकरण र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह वगैराह ुकदमा नं0 184/2021 में गैरसायलान की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ारा 151 जा0दी0 दिनांक 17.03.2021 को पेश होने पर सायला के अधिवक्ता ारा पूर्व में पेश किये मुकदमा नं0 828/2020 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह गैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट को दिनांक 6.08.2021 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात असरा नम्बर 100/9760,101,102,103, 104,105,112,114,73,75,88,90,91,92,98,99 कुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम हिण्डौन के सम्बन्ध में न्यायालय में सायला उगन्ती की ओर से अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुकदमा नं0 828/2020 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया, जिसमें सायला को अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ नहीं मिलने पर सायला के द्वारा इसी विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एक मुकदमा नं0 184/2021 उनवानी उगन्ती बनाम अमरसिंह वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 अन्तिरिम स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पेश किया, जिसमें सायला ने न्यायालय को पूर्व के मुकदमा नं0 828/2020 के न्यायालय में विचाराधीन होने के तथ्य को छिपाते हुए अन्तिरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जबकि प्रार्थीगण/ गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत नजीर 2017 (3)सीसीसी पेज 573 देहली उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि धारा 151 का उपयोग जहॉ न्याय का हनन हो रहा हो, उस स्थिति में न्याय हेतु उपयोग किया जा सकता है लेकिन जहॉ विधि का स्पष्ट प्रावधान है वहॉ धारा 151 का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी कम में प्रस्तुत नजीर 2016(1) डी.एन.जे. राजस्थान पेज नं0 460 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्धारित किया है कि जब सिविल प्रकिया संहिता /विशिष्टि अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान विद्यमान है तो किसी पक्षकार द्वारा तब तक न तो किसी अप्रयोज्य प्रावधान का और ना ही धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि काश्त की आराजीयात के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु धारा 212 आर0टी0एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है जिसका सायला द्वारा उपयोग कर लिया गया तो उक्त स्थिति में विशिष्ट प्रावधान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

[illegible] रखते हुए सायला द्वारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना मुताबिक कानून नहीं [illegible] सायला तथा सायला के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निगरानी का [illegible] दिनांक 28.09.2021 को हो जाने के कारण सायला का एक मुकदमा नं0 [illegible] 2021 उनवानी रुपन्ती बनाम भूपसिंह, दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] जा0दी0 के तहत कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य प्रतीत होता है।

अतः सायला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 [illegible] मुकदमा नं0 184/2021 बाबत् विवादित आराजीयात खसरा नम्बर [illegible]/9780,101,102,103,104,105,112,114,73,75,88,90,91,92,98,99 कुल किता 16 कुल रकबा 7.33 है0 वाके ग्राम हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.01.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 8-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)